

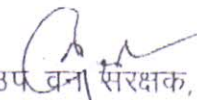
जनपद चमोली अन्तर्गत जोशीमठ श्रोत सवर्द्धन (दीर्घकालीन)
पेयजल योजना के निर्माण हेतु 1.149 है० वन भूमि का
हस्तान्तरण

प्रमाण पत्र

मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में भारत सरकार के पर्यावरण वन मंत्रालय के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.09.2009 में उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार वन भूमि के एन०पी०वी० मूल्य का निम्न प्रकार से निर्धारण किया जाता है।

याचित वन भूमि का कुल क्षेत्रफल	इको श्रेणी (Eco- class)	एन०पी०वी० की धनराशि की दर (प्रति हे०)	एन०पी०वी० की देय धनराशि
1.149 है०	Eco-class VI Open Forest	699000.00	8,03,151.00

(रुपये आठ लाख तीन हजार एक सौ इक्कावन मात्र)


 उप वन संरक्षक,
 नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क
 जोशीमठ।